[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधानसभा

2025 का विधेयक संख्या-24 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

	1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।	संक्षिप्त नाम।
	2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,- (i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:- '(खक) "विकास अभिकरण" से अभिप्राय है, ऐसा अभिकरण, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जाए; (खख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग; (खग) "उद्यमी" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नत अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; (खघ) "उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नत अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;'; (ii) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;	2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 2 का संशोधन।

	(iii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:- '(ज) "अप्राधिकृत विकास" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विकसित किया गया है; (झ) "अप्राधिकृत भू-खण्ड" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7 के उपबंधों की उल्लंघना में उप-विभाजित किया गया है।'।	
2016 के हरियाणा अधिनियम 14 में धारा 5क का रखा जाना।	3. मूल अधिनियम की धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:- "5क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.- अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरुद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक निलंबित समझी जाएंगी। व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों हेतु "अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना" से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक स्थापना की इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने	

	हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना ही स्थापित की गई हो।"।	
2016 के हरियाणा अधिनियम 14 में धारा 6क और 6ख का रखा जाना।	मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:- "6क. सार्वजनिक सड़क.- घोषित क्षेत्र में आने वाली और उसकी अभिन्यास योजना में दर्शाई गई सड़कें और गलियां, नगरपालिका में, सार्वजनिक सड़क के रूप में निहित होंगी। 6ख. सरकार द्वारा नियंत्रण.- निदेशक, ऐसे निर्देशों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं।"।	
2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 9 का संशोधन।	5. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ङ) का लोप कर दिया जाएगा।	

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 में संशोधन।

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 को सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका सीमा के भीतर नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों को घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, ताकि घोषित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएँ एवं अवसंरचना प्रदान की जा सकें।

वर्तमान में, अधिनियम के अंतर्गत केवल आवासीय क्षेत्रों को ही घोषित किया जा रहा है, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अतः, राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो वर्तमान में विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघना में हैं] उन्हें भी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं एवं अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ] और अवसंरचना प्रदान किए जा सकें।

तदनुसार, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करना आवश्यक है।

विपुल गोयल,
मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा।

चंडीगढ़:
दिनांक 23 अगस्त,2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाषित किया था।

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना

का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 से उद्धरण

धारा 9 छूट

इस अधिनियम की कोई भी बात किसी ऐसे क्षेत्र पर लागू नहीं होगी-

(क) *

(ख) *

(ग) *

(घ) *

(ङ) जहां कोई औद्योगिक इकाई स्थित है;

(च) *

(छ) *